संख्या-182/2016/आर-3546/26-3-2016-10(37)/2004

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की कक्षा 9 व 10 की छात्राओं हेतु बुकबैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-125/4/ज.जा.वि.2016-17, दिनांक-23.08.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना **'अनुसूचित जनजाति की छात्राओ हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान'** के अन्तर्गत प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि के सापेक्ष रूपया-5.00 लाख धनराशि (रूपया पांच लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय समय-समय पर निर्गत किये गये स्थायी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक पात्र छात्राओ की संख्या के आधार पर पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का वितरण शासनादेश संख्या-399/26-ब.प्र.2010-10(37)/2004, दिनांक-10.05.2010 के साथ संलग्नक में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। वास्तविक छात्राओं की संख्या के आधार पर जनपदवार आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की सूचना वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ व्यय की गयी का उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलध कराया जायेगा।

(5)-स्वीकृति की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-10 अनुसूचित जनजाति की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

छात्राओ हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-182/2016/आर-3546(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।